समक्ष: ए.एस. नेहरा और आर.एस. मौंगिया, माननीय न्यायमूर्ति

विवेका नंद शिक्षा समिति, -याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य आदि,-प्रतिवादी।

1992 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 352।

2 जून 1992.

हरियाणा निजी कॉलेज (प्रबंधन को नियंत्रित करना) अधिनियम, 1978- धारा 2 और 3–सरकारी निर्देश संख्या 755-3/1-79-सी आई आई (2), दिनांक 9 फरवरी, 1983 - सरकार द्वारा निजी कॉलेज का नियंत्रण लेना - एक वर्ष के लिए प्रशासक नियुक्त - इस बीच सरकार और एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक को नोटिस के बाद शासी निकाय का चुनाव, सरकार के नामांकित व्यक्ति की उपस्थिति में हुआ - नवगठित शासी निकाय ने सरकार से प्रबंधन सौंपने का अनुरोध किया - इनकार - शिक्षक संघ ने प्रशासक को जारी रखने का अनुरोध किया - सरकार ने एक वर्ष की वृध्दि दी - वृदधि का आदेश अमान्य है - विश्वविद्यालय या सरकार के एक नामांकित व्यक्ति की उपस्थिति चुनाव को वैध रखने के लिए

पर्याप्त है - नवगठित शासी निकाय को प्रबंधन प्राप्त करने का अधिकार है।

अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य सरकार कानूनी तौर पर कॉलेज की संपत्ति के साथ-साथ कॉलेज का प्रबंधन अपीलकर्ता को सौंपने के लिए बाध्य है, जो कॉलेज की नवनिर्वाचित शासी निकाय है। कॉलेज की शासी निकाय का चुनाव 27 जुलाई 1991 को सरकार के नामांकित व्यक्ति की उपस्थिति में किया गया था। सरकार के नामांकित व्यक्ति ने सरकार को सूचित किया था कि कॉलेज के शासी निकाय का चुनाव उनकी उपस्थिति में हुआ था और चुनाव वैध था। चुनाव के समय विश्वविद्यालय को अपना नामांकन भेजने की भी सूचना दी गयी थी, लेकिन चुनाव के समय विश्वविद्यालय ने अपना नामांकन नहीं भेजा. चूंकि चुनाव के समय विश्वविद्यालय का नामांकित व्यक्ति उपस्थित नहीं था, इसलिए सरकार के निर्देश के संदर्भ में यह नहीं माना जा सकता कि शासी निकाय का चुनाव वैध नहीं है। शासन के 9 फरवरी 1983 के निर्देशानुसार यदि चुनाव एक नामांकित व्यक्ति की उपस्थिति में होता है तब भी वह चुनाव शासी निकाय का वैध चुनाव माना जायेगा।

(पैरा 12)

अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलकर्ता विधिवत रूप से कॉलेज का प्रबंधक/शासी निकाय है और इसलिए अपीलकर्ता प्रतिवादियों से कॉलेज की संपत्ति के साथ-साथ कॉलेज का प्रबंधन संभालने का हकदार है।

(पैरा 13)

अभिनिर्धारित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशेष मामलों की अत्यावश्यकताओं के अनुरूप इस न्यायालय के पास रिट याचिका तैयार करने के मामले में बहुत व्यापक विवेकाधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 226 अंतरगत रिट याचिका को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि सरकार द्वारा पारित कुछ आदेशों को चुनौती नहीं दी गई।

(पैरा 13)

अभिनिर्धारित किया कि रिट याचिका सक्षम है और विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर रिट याचिका को खारिज करने में गलती की है कि कॉलेज की प्रबंध समिति ने रिट याचिका दायर नहीं की।

(पैरा 13)

1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 13184 में एकल न्यायाधीश श्री जवाहर लाल गुप्ता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15 जनवरी, 1992 के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खण्ड एक्स के तहत लेटर्स पेटेंट अपील।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता आर.के. मलिक।

आर. सी. सेतिया, अतिरिक्त ए.जी. हरियाणा, उततरदाता संख्या 1 के लिए ।

अजय लांबा, उतरदाता नंबर 2 के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

ए.एस. नेहरा, न्यायमूर्ति

यह अपील 15 जनवरी, 1992 के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। अपीलकर्ता विवेका नंद शिक्षा समिति, नांगल चौधरी (बाद में सोसायटी के रूप में संदर्भित) एक पंजीकृत सोसायटी है। अपीलकर्ता सोसायटी ने विवेका नंद कॉलेज के शासी निकाय के अध्यक्ष श्री माला राम को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेका नंद कॉलेज का प्रबंधन विवेका नंद कॉलेज की शासी निकाय को सौंपने के लिए

उततरदाताओं को परमादेश रिट जारी करने के लिए रिट याचिका दायर करने के लिए, अधिकृत किया।

(2) सोसायटी 1987 से विवेका नंद कॉलेज, नांगल चौधरी के नाम से एक डिग्री कॉलेज चलाती है। विवेका नंद कॉलेज की शासी निकाय का चुनाव पहले 3 अप्रैल, 1988 को हुआ था और शासी निकाय का कार्यकाल तीन साल के लिए था। अप्रैल, 1990 के महीने में सरकार ने कॉलेज के प्रबंधन/शासी निकाय के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न प्रबंधन को सरकार द्वारा अपने अधीन ले लिया जाए। चूँकि कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, दिनांक 27 जुलाई 1990 के पत्र द्वारा सरकार ने कॉलेज का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, और एक वर्ष की अवधि के लिए कोई प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया और प्रशासक की नियुक्ति के अनुसरण में वह 7 अगस्त 1990 को नियुक्त हुआ। प्रशासक का कार्यकाल 6 अगस्त 1991 को समाप्त हो गया।

(3) सोसाइटी ने 27 जुलाई 1991 को चुनाव कराने का निर्णय लिया और उस उद्देश्य के लिए एक रिटर्निंग-सह-पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। रिटर्निंग-कम-पीठासीन अधिकारी ने 13 जुलाई 1991 को डीन कॉलेज, विकास परिषद, एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक को एक पत्र

लिखा जिसमे लिखा गया कि सोसायटी ने शासी निकाय का चुनाव कराने का फैसला लिया है, कि उन्हें चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग-कम-पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और चुनाव कार्यक्रम की एक प्रति उन्हें भेजी गई थी और डीन से, चुनाव के समय, अपना नामांकित व्यक्ति भेजने का अनुरोध किया गया था ताकि कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराया जा सके। पत्र की एक प्रति निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा को भी इस प्रार्थना के साथ भेजी गई कि चुनाव के समय वह अपना नामांकित व्यक्ति भेजे । रिटर्निंग-सह-पीठासीन अधिकारी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसरण में, निदेशक उच्च शिक्षा हरियाणा ने 27 जुलाई 1991 को सुबह 10.00 बजे होने वाले चुनाव के लिए प्रिंसिपल, सरकारी कॉलेज, नारनौल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया और निर्देशित किया कि वे तत्काल इस आशय की रिपोर्ट भेजें कि चुनाव नियमानुसार सही ढंग से हुआ है या नहीं। शासी निकाय का चुनाव 27 जुलाई 1991 को हुआ और सरकार के नामांकित व्यक्ति ने निदेशक उच्च शिक्षा हरियाणा को सूचित किया कि शासी निकाय का चुनाव निर्धारित समय पर हुआ था और चुनाव वैध था। प्रधानाचार्य की ओर से आगे कहा गया कि चुनाव कानून के मुताबिक हुआ है और चुनाव की मूल रिपोर्ट निदेशक उच्च शिक्षा को भेज दी गई है।

(4) रिटर्निंग-सह-पीठासीन अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय से अपने नामांकित व्यक्ति भेजने के अनुरोध के बावजूद, विश्वविद्यालय ने चुनाव के समय अपना नामांकित व्यक्ति नहीं भेजा। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट कॉलेजों की शासी निकाय के चुनाव के समय नामांकित व्यक्ति की उपस्थिति के संबंध में 9 फरवरी, 1983 को निर्देश जारी किए हैं। सरकार द्वारा जारी निर्देश इस प्रकार हैं:-

"की तरफ से

निदेशक शिक्षा, हरियाणा, चंडीगढ़।

को

राज्य के सभी निजी महाविद्यालयों के शासी निकाय। मेमो नंबर 755-3/एल-79-सीआईआई(2), दिनांक 9 फरवरी, 1983 चंडीगढ़।

विषय : निजी महाविद्यालयों की शासी निकाय के चुनाव के समय नामांकित व्यक्तियों की उपस्थिति के संबंध में।

सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि निर्देशों के अनुसार यदि विश्वविद्यालय द्वारा नामांकित व्यक्ति प्रबंध समिति के चुनाव के समय

उपस्थित नहीं होता तो सामान्य निकाय को चुनाव को कुछ तिथियों के लिए स्थगित करना पड़ेगा और इस कारण सामान्य निकाय को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि नामांकित व्यक्ति की अनुपस्थिति में चुनाव को वैध नहीं माना जाता जिसके परिणामस्वरूप बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि चुनाव के समय विश्वविद्यालय के नामांकित व्यक्ति के साथ-साथ सरकार के नामांकित व्यक्ति को भी बुलाया जाएगा और यदि एक उम्मीदवार की उपस्थिति में चुनाव हुआ है तो भी चुनाव को वैध माना जाएगा।

यह भी निर्णय लिया गया है कि कॉलेज की शासी निकाय में सरकार का प्रतिनिधि मौजूद रहेगा जो सरकार का प्रतिनिधि होगा।

इसलिए, जब भी प्रबंधन के चुनाव में कोई तारीख और समय तय किया जाए तो विश्वविद्यालय के नामांकित व्यक्ति के साथ-साथ सरकार के नामांकित व्यक्ति को भी समय पर सूचित किया जाए। पावती भेजी जाए।

हस्ताक्षर/-

निदेशक उच्च शिक्षा, हरियाणा के लिए उप निदेशक उच्च शिक्षा।

चुनाव के समय दिए गए निर्देशों के अनुसार यदि एक ही नामांकित व्यक्ति की उपस्थिति में चुनाव हुआ है तो चुनाव वैध माना जाएगा।

(5) सोसायटी ने सरकार से नवगठित शासी निकाय को प्रबंधन सौंपने का अनुरोध किया। शासी निकाय के अध्यक्ष ने सरकार से यह भी अनुरोध किया कि कॉलेज का प्रबंधन नवगठित शासी निकाय को सौंप दिया जाए, लेकिन प्रबंधन सौंपने के बजाय, उत्तरदाता संख्या 1 ने प्रशासक का कार्यकाल बढ़ा दिया। आगे यह तर्क दिया गया कि 27 जुलाई 1991 को नवगठित शासी निकाय को प्रबंधन न सौंपने की उत्तरदाता की कार्रवाई अवैध, अन्यायपूर्ण, मनमानी और हरियाणा प्राइवेट कॉलेज (प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1978। अधिनियम की प्रासंगिक धारा 2 और 3 को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है।

2. "इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(ए) *प्रशासक* का अर्थ है किसी कॉलेज का प्रबंधन संभालने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी;

(बी) *कॉलेज* का अर्थ एक ऐसी संस्थान है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 के प्रावधानों

द्वारा मान्यता प्राप्त है,या महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के तहत महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेश दिया गया, द्वारा नहीं चलाई जाती।

(सी) *'कॉलेज संपत्ति'* का अर्थ है कॉलेज से संबंधित या उसके कब्जे में सभी चल और अचल संपत्ति और ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले अन्य सभी अधिकार और हित, और इसमें भूमि, भवन और उसके सहायक उपकरण, खेल के मैदान, छात्रावास फर्नीचर, पुस्तकें, उपकरण, मानचित्र, उपकरण, बर्तन, नकदी, आरक्षित निधि, निवेश और बैंक शेष शामिल हैं। ।

(डी) *'प्रबंध समिति'* का अर्थ है किसी कॉलेज के प्रबंधन के लिए सौंपे गए व्यक्तियों का निकाय;

(ई) *'अल्पसंख्यक कॉलेज'* का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) के तहत ऐसा करने का अधिकार रखने वाले अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित एक कॉलेज; और

(एफ) किसी कॉलेज के संबंध में 'अध्यक्ष' का मतलब किसी भी नाम से पुकारा जाने वाला व्यक्ति है, जिसे इस अधिनियम के तहत प्रबंधन संभालने से ठीक पहले कॉलेज के मामलों का प्रबंधन सौंपा गया है।

3. महाविद्यालयों का प्रबंधन नियंत्रण करने की शक्ति :-

(1) जब भी राज्य सरकार, संबंधित विश्वविद्यालय से या अन्यथा एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर संतुष्ट होती है कि कॉलेज की प्रबंध समिति या अध्यक्ष ने-

(ए) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 या महारिशी दयानंद विश्वविद्यालय अधिनियम,1975 के तहत उस पर लगाए गए कर्तव्यों और कार्यों के प्रदर्शन में लापरवाही की या लगातार चूक की या फिर इनके अंतर्गत बनाए गए क़ानूनों, अध्यादेशों और विनियमों के लिए कथित व्यवहार अपनाया; या

(बी) राज्य सरकार द्वारा पारित किसी भी आदेश या जारी किए गए निर्देश या हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सुरक्षा या सेवा) अधिनियम, 1979 के तहत निदेशक द्वारा पारित किसी भी आदेश को पूरा करने में विफल रहा; या

(सी) अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है, और कॉलेज शिक्षा के हित में ऐसे कॉलेज का प्रबंधन अपने हाथ में लेना समीचीन है, राज्य सरकार ऐसे कॉलेज की प्रबंध समिति या अध्यक्ष को कारण बताने के बाद ऐसा कर सकती है। प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का अवसर और प्रबंध समिति या ऐसे कॉलेज के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, द्वारा दिए गए उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, ऐसे कॉलेज का प्रबंधन प्रशासक के

हाथ में देने का आदेश दे सकती है। एक प्रशासक द्वारा कॉलेज के प्रबंधन का आदेश तीन वर्ष की अवधि तक के लिए दिया जा सकता है।

(2) जब भी उप-धारा (1) के तहत किसी कॉलेज का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया जाता है, तो ऐसे कॉलेज के प्रबंधन का प्रभारी उसके प्रबंधन को अपने हाथ में लेने से ठीक पहले, कॉलेज की संपत्ति का कब्जा प्रशासक को सौंप देगा।

(3) इस धारा के तहत किसी कॉलेज का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के बाद, प्रशासक प्रबंध समिति और अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(4) इस अवधि के दौरान, कॉलेज एक प्रशासक के प्रबंधन में रहता है: -

(ए) जब तक प्रबंधन प्रशासक में निहित है, तब तक प्रबंध समिति और अध्यक्ष कॉलेज के मामलों पर प्रबंधन की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना बंद कर देंगे;

(बी) कॉलेज के उन कर्मचारियों की सेवा शर्तों में, जो प्रबंधन संभालने की तारीख से ठीक पहले रोजगार में थे, उनके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जाएगा;

(सी) सभी शैक्षिक सुविधाएं, जो कॉलेज ऐसे प्रबंधन को अपने हाथ में लेने से तुरंत पहले प्रदान कर रहा था, प्रदान की जाती रहेंगी;

(डी) कॉलेज कोष, छाछात्रों, प्रबंधन कोष और कोई अन्य मौजूदा कोष कॉलेज के उद्देश्य के लिए खर्च करने के लिए प्रशासक के पास उपलब्ध रहेगा।

(ई) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) धारा 3 के तहत जारी कारण बताओ नोटिस की तारीख के बाद प्रबंधन समिति का कोई निर्णय या संकल्प तब तक प्रभावी नही किया जाएगा जब तक प्रशासक द्वारा अनुमोदित न किया जाए; और

(च) प्रशासक ऐसे सभी निर्णयों और उस पर अपने आदेशों की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा और राज्य सरकार प्रशासक के आदेश की पुष्टि, संशोधन या उलटने के लिए स्वतंत्र होगी।

(5) राज्य सरकार अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय है और अनिवार्यता उस अवधि की समाप्ति पर, जिस अवधि के लिए कॉलेज का प्रबंधन अपने हाथ में लिया था, प्रबंधन और कॉलेज की संपत्ति विधिवत गठित प्रबंधन समिति को सौंप देगी।

(6) उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से लिखित बयान उप सचिव शिक्षा द्वारा दायर किया गया। लिखित बयान के पैरा 6 में, यह कहा गया है कि प्रशासक ने, ज्ञापन संख्या 5062, दिनांक 22 जुलाई, 1991 के माध्यम से सरकार को सूचित किया कि कॉलेज के व्याख्याताओं को पिछले प्रबंधन

के हाथों उत्पीड़न का डर है और यदि वर्तमान व्यवस्था बंद कर दी गई और प्रशासक ने प्रशासक के कार्यकाल के विस्तार की सिफारिश की तो कॉलेज का विकास बंद हो जाएगा। आगे उल्लेख किया गया है कि कॉलेज के शिक्षक संघ ने सरकार से प्रशासक के कार्यकाल के विस्तार के लिए अनुरोध किया था क्योंकि नवनिर्वाचित प्रबंधन को कॉलेज के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं है और कॉलेज भवन निर्माण के लिए लोगों से भारी मात्रा में धन एकत्र किया गया है जिसका समुचित उपयोग नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रशासक की रिपोर्ट को देखते हुए सरकार ने प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया है।

(7) रिट याचिका के पैरा 7 में दिए गए कथनों को लिखित बयान में स्वीकार कर लिया गया है कि सरकार को अपने नामांकित व्यक्तियों को भेजने के लिए कहा गया था। रिट याचिका के पैरा 8 में दिए गए दावे इस आशय के हैं कि चुनाव 27 जुलाई, 1991 को हुआ था और सरकार के नामांकित व्यक्ति ने रिपोर्ट किया है कि चुनाव ठीक से और कानून के अनुसार हुआ था, जिसे उत्तरदाता संख्या 1 ने भी स्वीकार किया है। लिखित बयान के पैरा 8 में कहा गया है कि शासी निकाय का चुनाव बिल्कुल अलग मुद्दा है और इसका प्रशासन संभालने से कोई सरोकार नहीं है। रिट याचिका के पैरा 9 में यह दावा किया गया है कि यदि चुनाव

के समय सरकार का नामांकित व्यक्ति या विश्वविद्यालय का नामांकित व्यक्ति मौजूद है तो चुनाव केवल इसलिए अमान्य नहीं होगा कि विश्वविद्यालय या सरकार में से एक का नामांकित व्यक्ति मौजूद नही है और यह तथ्य लिखित बयान में भी स्वीकार किया गया। लेकिन लिखित बयान के पैरा 9 में आगे कहा गया कि प्रशासक के कार्यकाल के विस्तार के लिए प्रबंध समिति का चुनाव प्रासंगिक नहीं है। लिखित बयान के पैरा 10 में आगे कहा गया है कि सरकार ने कॉलेज के प्रशासन को सौंपने के लिए शासी निकाय के अनुरोध पर सावधानीपूर्वक विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि नए शासी निकाय का नेतृत्व उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसके खिलाफ गंभीर आरोप थे जिनके आधार पर कॉलेज का प्रशासन पहले ही अपने हाथ में ले लिया गया था। प्रशासक की रिपोर्ट के अनुसार, कॉलेज के कर्मचारियों और क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने प्रतिनिधित्व किया था कि कॉलेज के मामलों को बहुत नुकसान होगा यदि वर्तमान व्यवस्था बंद कर दी गई; सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यदि प्रबंधन को कार्यभार सौंपा गया तो कॉलेज शिक्षा को बहुत नुकसान होगा; और इसलिए, प्रशासक का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। रिट याचिका के पैरा 11 में दिए गए कानूनी कथनों को अस्वीकार कर दिया गया है।

(8) प्रशासक डॉ. महावीर सिंह, आई.ए.एस., उत्तरदाता संख्या 2, ने लिखित बयान दायर किया है और नौ प्रारंभिक आपत्तियां उठाई हैं, जिसमें कहा गया है कि पार्टियों के असंयोजन के कारण रिट याचिका खारिज होनी चाहिए; वह महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय. रोहतक, एक आवश्यक पक्ष है और विश्वविद्यालय को गलत इरादों से पक्षकार नहीं बनाया गया; शासी निकाय के चुनाव को विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रित और अनुमोदित किया गया था; और चुनाव कराने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। प्रशासक द्वारा उठाई गई अन्य आठ प्रारंभिक आपत्तियाँ बेबुनियाद हैं, इसलिए, इन्हें फैसले में दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा।

(9) योग्यता के आधार पर, उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा लिखित बयान में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करके सोसायटी द्वारा खुद ही चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती; विश्वविद्यालय को चुनाव के बारे में सूचित नहीं किया गया था और विश्वविद्यालय के नामांकित व्यक्ति की अनुपस्थिति में चुनाव अवैध है। लिखित बयान में उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा उठाई गई अन्य दलीलों को उत्तरदाता संखया 2 ने अपने लिखित बयान में दोहराया है। लिखित बयान के साथ, प्रशासक ने अनुलग्नक आर. 2/5 संलग्न किया है जो निम्नानुसार है:

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय,रोहतक।

क्रमांक सीबी-VI/91/7415

दिनांक 15 अक्टूबर, 1991.

को

प्रशासक,

विवेकानन्द महाविद्यालय, नांगल चौधरी।

विषय: सूचना की आपूर्ति।

प्रिय महोदय, शासी निकाय के चुनावों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण के संबंध में आपके पत्र संख्या वीएनसी/91/1360, दिनांक 14 अक्टूबर, 1991 के संदर्भ में, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि: -

1. यह सोसायटी ही कॉलेज चलाती है, जो शासी निकाय के पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर रही है। 2. सोसायटी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, चुनाव कराने के लिए एक रिटर्निंग अफसर नियुक्त करती है।

3. 27 जुलाई,1991 को विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में हुआ चुनाव मान्य नहीं था।

4. विश्वविद्यालय ने 27 जुलाई 1991 के चुनावों को मंजूरी नहीं दी थी, जो विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार नहीं हुए थे [विश्वविद्यालय कैलेंडर ग्रंथ 1 परिनियम -38 खंड 25(i)]

5. विश्वविद्यालय कैलेंडर ग्रंथ 1 खंड I के परिनियम 38 की प्रति इसके साथ संलग्न है।

6. विश्वविद्यालय को चुनाव से कुछ दिन पहले ही सूचित किया गया था लेकिन विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक की नियुक्ति के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक की उपस्थिति के बिना शासी निकाय के किसी भी चुनाव को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

आपका विश्वासी,

हस्ताक्षर/-××

डीन कॉलेज विकास परिषद की ओर से सहायक रजिस्ट्रार (कॉलेज) के लिए।

डीए/ऊपरानुसार।

पत्र के पैरा 6 में, जिसे ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 को संबोधित किया गया है, यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय को चुनाव से कुछ दिन पहले ही सूचित किया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक की नियुक्ति के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था।.

(10) श्रीमान आर. के. मलिक,अपीलकर्ता के वकील, ने कहा कि कॉलेज की शासी निकाय/प्रबंध समिति का गठन 27 जुलाई 1991 को विधिवत किया गया था, जब सरकार के नामांकित व्यक्ति की उपस्थिति में चुनाव हुआ था; कि सरकार के नामांकित व्यक्ति ने 30 जुलाई, 1991 को सरकार को सूचित किया था कि कॉलेज की शासी निकाय का चुनाव वैध था और यह कानून के अनुसार हुआ था; और इसलिए, अधिनियम की धारा 3(5) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जो इस प्रकार है:

“3(5) :-राज्य सरकार, उस अवधि की समाप्ति से पहले जिसके लिए कॉलेज का प्रबंधन अपने हाथ में लिया गया है और उस अवधि की समाप्ति पर, कॉलेज की संपत्ति सहित प्रबंधन को कॉलेज की विधिवत गठित प्रबंध समिति को सौंप दें।” अपीलकर्ता प्रशासक से कॉलेज की

संपत्ति के साथ-साथ कॉलेज का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का हकदार है क्योंकि अधिनियम की धारा 3(5) के प्रावधान अनिवार्य हैं।

(11) प्रशासक के विद्वान वकील श्री अजय लांबा ने प्रस्तुत किया है कि प्रशासक ने 22 जुलाई 1991 के ज्ञापन संख्या 5062 के माध्यम से, सरकार को सूचित किया था कि कॉलेज के व्याख्याताओं को पुराने प्रबंधन से उत्पीड़न का डर है। वर्तमान व्यवस्था बंद होने पर कॉलेज का प्रबंधन और विकास बंद हो जायेगा। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रशासक ने प्रशासक के कार्यकाल के विस्तार की सिफारिश सरकार से की थी और कॉलेज के शिक्षक संघ ने 30 जुलाई, 1991 को प्रशासक के कार्यकाल के विस्तार के लिए अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन दिया था , क्योंकि नवनिर्वाचित प्रबंधन को कॉलेज के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं थी और भवन निर्माण के लिए क्षेत्र के लोगों से एकत्र की गई भारी राशि का उचित उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रशासक के विद्वान वकील द्वारा आगे यह कहा गया कि सरकार ने प्रशासक का कार्यकाल 1 अक्टूबर, 1991 को - अनुलग्नक आर -4 के माध्यम से एक वर्ष के लिए, यानी 27 जुलाई, 1991 से 26 जुलाई, 1992 तक बढ़ा दिया है और, चूंकि सरकार द्वारा पारित इस आदेश को अपीलकर्ता द्वारा रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई, इसलिए अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका केवल इस

आधार पर खारिज की जा सकती है। यह बताया जा सकता है कि प्रशासक की नियुक्ति 27 जुलाई 1991 के बाद अनुबंध आर-2/6 के तहत सरकार द्वारा 30 अगस्त 1991 के अगले आदेश तक बढ़ा दी गई थी।

(12) पक्षों के वकील को सुनने के बाद, हमें अपीलकर्ता के वकील आर. के. मलिक की बहस में तर्क लगा कि कानूनी तौर पर राज्य सरकार अपीलकर्ता को, जो कि कॉलेज की नवनिर्वाचित शासी निकाय है, कॉलेज का प्रबंधन देने के लिए बाध्य है। कॉलेज की शासी निकाय का चुनाव 27 जुलाई 1991 को सरकार के नामांकित व्यक्ति की उपस्थिति में किया गया था। सरकार के नामांकित व्यक्ति ने सरकार को सूचित किया था कि कॉलेज की शासी निकाय का चुनाव उसकी उपस्थिति में हुआ था और चुनाव वैध था। विश्वविद्यालय को चुनाव के समय अपने नामांकित व्यक्ति भेजने के लिए भी सूचित किया गया था लेकिन विश्वविद्यालय ने चुनाव के समय अपना नामांकित व्यक्ति नहीं भेजा। चूंकि चुनाव के समय विश्वविद्यालय का नामांकित व्यक्ति उपस्थित नहीं था, इसलिए सरकार के निर्देशों के मद्देनजर यह नहीं माना जा सकता कि शासी निकाय का चुनाव वैध नहीं है। सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 9 फरवरी 1983, अनुलग्नक पी 4 तहत यदि चुनाव एक नामांकित व्यक्ति की उपस्थिति में होता है तब भी चुनाव को शासी निकाय का वैध चुनाव माना

जाएगा। इसलिए, उत्तरदाता कानूनी रूप से कॉलेज का प्रबंधन और कॉलेज की संपत्ति अपीलकर्ता को सौंपने के लिए बाध्य हैं। हमें उततरदाता संख्या 2 के विद्वान वकील श्री अजय लांबा द्वारा उठाए गए इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि यदि वर्तमान व्यवस्था बंद कर दी गई तो कॉलेज का विकास रुक जाएगा क्योंकि नवनिर्वाचित प्रबंधन को कॉलेज के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं है और भारी कॉलेज के भवन निर्माण के लिए क्षेत्र के लोगों से ली गयी राशि का समुचित उपयोग नहीं हो पायेगा। यदि उत्तरदाता संख्या 2 के विद्वान वकील के इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह शासी निकाय के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालने जैसा होगा। प्रशासक द्वारा कॉलेज का प्रशासन अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी गई है। उत्तरदाता संखया 1 की ओर से दायर लिखित बयान के पैरा 6 में कहा गया है कि “नवनिर्वाचित प्रबंधन को कॉलेज के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं है।” पैरा 6 में उत्तरदाता संख्या 1 के इस कथन ने एक तथ्य स्थापित किया है कि 27 जुलाई 1991 को कॉलेज के शासी निकाय का नया चुनाव हुआ है। उत्तरदाता संख्या 2, जो सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक है, यह दलील देने का हकदार नहीं है कि विश्वविद्यालय के नामांकित व्यक्ति की अनुपस्थिति में 27 जुलाई 1991 को हुआ चुनाव अमान्य है। उत्तरदाता संख्या 2 ने इस मामले को इस

तरह से लड़ा है मानो उसे अगले आदेश तक कॉलेज का प्रशासक बने रहने का कानूनी अधिकार मिल गया हो।

(13) अपीलकर्ता विधिवत रूप से गठित कॉलेज का प्रबंधन/ शासी निकाय है और इसलिए, अपीलकर्ता उत्तरदाताओं से कॉलेज की संपत्ति के साथ-साथ कॉलेज के प्रबंधन को संभालने का हकदार है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की रिट याचिका को इस आधार पर खारिज करके कानूनी गलती की है कि अपीलकर्ता ने 30 अगस्त, 1991 के आदेश को चुनौती नहीं दी थी, जिसके द्वारा प्रशासक की अवधि अगले आदेश तक बढ़ा दी गई थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर करने के बाद, प्रशासक का कार्यकाल 1 अक्टूबर, 1991 अनुलग्नक आर -4 के अनुसार, बढ़ाया गया था, और चूंकि अपीलकर्ता चुनाव के बाद उत्तरदाताओं से प्रबंधन लेने का हकदार था, इसलिए, अपीलकर्ता राज्य सरकार के 30 अगस्त, 1991 के आदेश को चुनौती देने के लिए बाध्य नहीं था। उन्होंने आगे कहा है कि भले ही अपीलकर्ता ने सरकार के 1 अक्टूबर, 1991 और 30 अगस्त, 1991 के आदेश को चुनौती नहीं दी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के पास विशेष मामलों की अत्यावश्यकताओं के अनुरूप अपनी रिट तैयार करने के मामले में बहुत

व्यापक विवेक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि सरकार द्वारा पारित 1 अक्टूबर, 1991 और 30 अगस्त, 1991 के आदेशों को रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई।' अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने **उदे सिंह बनाम हरियाणा राज्य**[1] पर ज़ोर दिया है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की रिट याचिका को इस आधार पर खारिज करके कानूनी गलती की है कि कॉलेज की प्रबंध समिति ने रिट याचिका दायर नहीं की । निस्संदेह विवेका भूमि शिक्षा समिति (एक पंजीकृत सोसाइटी) ने अपीलकर्ता कॉलेज, नांगल चौधरी के शासी निकाय के अध्यक्ष श्री माला राम के माध्यम से रिट याचिका दायर की है। चूंकि सोसायटी ने कॉलेज के शासी निकाय के अध्यक्ष श्री माला राम को रिट याचिका दायर करने के लिए अधिकृत किया है, इसलिए, रिट याचिका सक्षम है और विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर रिट याचिका को खारिज करने में गलती की है कि प्रबंध समिति कॉलेज ने रिट याचिका दायर नहीं की है.

[1] 1972 पी एल जे 20।

(14) हमें अपीलकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क में भी तर्क मिलता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास निश्चित रूप से व्यापक शक्तियां हैं और ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों उच्च न्यायालय अत्यावश्यकताओं में अपनी रिट इस्तेमाल नही कर सकता खासतौर पर तब जब अनुबंध आर-4 के संदर्भ में निहित सरकार के 1 अक्टूबर 1991 और 30 अगस्त 1991 के आदेश को रद्द करने के लिए उचित रिट या निर्देश की प्रार्थना न की गई हो।

(15) हमारी उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, इस अपील को स्वीकार किया जाता है और 15 जनवरी 1992 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है। अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार की जाती है। 1 अक्टूबर, 1991 (अनुलग्नक आर-4) और 30 अगस्त, 1991 (अनुलग्नक आर-2/6) के आदेश रद्द किये जाते हैं। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे कॉलेज की संपत्ति के साथ-साथ कॉलेज का प्रबंधन भी अपीलकर्ता को तुरंत सौंप दें। लागत पर कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका

उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शिवदेव शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
अम्बाला, हरियाणा

आइ और

.